

भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति

प्रलिस के लिये:

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 350 (B)।

मेन्स के लिये:

भारत में अल्पसंख्यकों का नरिधारण और संबंघति संवैधानिक प्रावधान, अल्पसंख्यकों से संबंघति मुद्दे।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि धार्मिक और भाषायी समुदायों की अल्पसंख्यक स्थिति "राज्य-नरिभर" है।

संबंघति याचिका:

- याचिका में शिकायत की गई है कलिददाख, मज़ोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, पंजाब और उत्तर-पूरवी राज्यों में [गुडूरी](#), [वहाबी](#) तथा [हदु](#) धर्म के अनुयायी वास्तविक अल्पसंख्यक हैं।
- हालाँकि वे राज्य स्तर पर 'अल्पसंख्यक' की पहचान न होने के कारण अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना एवं उनका प्रशासन नहीं कर सकते हैं।
- यहाँ हदु जैसे धार्मिक समुदाय सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से गैर-प्रमुख और कई राज्यों में संख्या में न्यून हैं।

नरिणय:

- भारत का प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी राज्य में अल्पसंख्यक हो सकता है।
- एक मराठी अपने गृह राज्य महाराष्ट्र के बाहर अल्पसंख्यक हो सकता है।
- इसी तरह एक कन्नड़ भाषी व्यक्ति कर्नाटक के अलावा अन्य राज्यों में अल्पसंख्यक हो सकता है।
- कोर्ट ने संकेत दिया कि एक धार्मिक या भाषायी समुदाय जो किसी विशेष राज्य में अल्पसंख्यक है, संवधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने के अधिकार का दावा कर सकता है।

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक:

- वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2 (C) के तहत अधिसूचित समुदायों को ही अल्पसंख्यक माना जाता है।
 - टीएमए पाई मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 11 न्यायाधीशों की बेंच के फैसले, जसिने स्पष्ट रूप से नरिधारित किया कि भाषायी और धार्मिक अल्पसंख्यकों की पहचान राष्ट्रीय स्तर के बजाय राज्य स्तर पर की जानी चाहिये, के बावजूद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) अधिनियम, 1992 की धारा 2 (C) ने अल्पसंख्यकों को अधिसूचित करने के लिये केंद्र को "बेलगाम शक्ति" दी।
- NCM अधिनियम, 1992 के अधिनियमन के साथ ही वर्ष 1992 में MC वैधानिक नकिया बन गया, जसिका नाम बदलकर NCM कर दिया गया।
- वर्ष 1993 में पहला सांघिक राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया गया था और पाँच धार्मिक समुदाय अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था।
- वर्ष 2014 में जैनियों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया गया था।

अल्पसंख्यकों हेतु संवैधानिक प्रावधान:

अनुच्छेद 29:

- यह प्रावधान करता है कि भारत के किसी भी हिस्से में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति

है, उसे संरक्षित करने का अधिकार होगा।

- यह धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ-साथ भाषायी अल्पसंख्यकों दोनों को सुरक्षा प्रदान करता है।
- हालाँकि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस अनुच्छेद का दायरा केवल अल्पसंख्यकों तक ही सीमिति नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद में 'नागरिकों के वर्ग' शब्द के उपयोग में अल्पसंख्यकों के साथ-साथ बहुसंख्यक भी शामिल हैं।

■ अनुच्छेद 30:

- सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शक्तिषण संस्थान स्थापति करने और संचालति करने का अधिकार होगा।
- अनुच्छेद 30 के तहत सुरक्षा केवल अल्पसंख्यकों (धार्मिक या भाषायी) तक ही सीमिति है और नागरिकों के किसी भी वर्ग (अनुच्छेद 29 के तहत) तक नहीं है।

■ अनुच्छेद 350(B):

- 7वें संवधानिक (संशोधन) अधिनियम, 1956 ने इस अनुच्छेद को सम्मलिति कयिा जो भाषायी अल्पसंख्यकों के लयि भारत के राष्ट्रपति द्वारा नयुिक्त वशिष अधिकारी का प्रावधान करता है।
- इस वशिष अधिकारी का कर्तव्य होगा कविह संवधान के तहत भाषायी अल्पसंख्यकों हेतु प्रदान कयिे गए सुरक्षा उपायों से संबधति सभी मामलों की जाँच करे।

प्रश्न. भारत में यदकिस्ी धार्मिक संप्रदाय/समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है, तो वह कसि वशिष लाभ का हकदार है? (2011)

1. यह वशिषिट शैकषणकि संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है।
2. भारत का राष्ट्रपति स्वतः ही लोकसभा के लयि कसिी समुदाय के एक प्रतिनिधिको नामति करता है।
3. इसे प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का लाभ मलि सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

- वर्तमान में मुसलमि, सखि, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी को भारत सरकार द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायों के रूप में अधिसूचति कयिा गया है। ये समुदाय भारत के संवधान के साथ-साथ वभिनिन अन्य वधायी और प्रशासनकि उपायों के हकदार हैं।
- भारतीय संवधान का अनुच्छेद 30 धर्म या भाषा पर आधारति सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचिके शक्तिषा संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन के अधिकार का समर्थन करता है। **अतः कथन 1 सही है।**
- भारत के राष्ट्रपति द्वारा अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय के कसिी सदस्य को लोकसभा के लयि स्वतः मनोनीत करने का कोई प्रावधान नहीं है। यह प्रावधान पहले संवधान के अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो-इंडयिन समुदाय के सदस्यों के लयि उपलब्ध था। **अतः कथन 2 सही नहीं है।**
- धार्मिक अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। शक्तिषा, कौशल वकिास, रोजगार और सांप्रदायकि संघर्षों की रोकथाम जैसे कषेत्रों में अल्पसंख्यकों के कल्याण को सुनिश्चति करने के लयि वर्ष 2005 में यह कार्यक्रम शुरू कयिा गया था। **अतः कथन 3 सही है।**
- अतः विकल्प (c) सही उत्तर है।

स्रोत: द हट्टू